कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

अनिल सक्सैना
कुलसचिव

Ph- : 0751–2970519 **(O)** 0751–2467066 **(Fax)**
E-mail- *registrar@rvskvv.net*

क्र. / कु.स. / स्था.2 / समयमान / 2023 / 2082 दिनांक: 04/07/2023

/ /आदेश/ /

म.प्र. वित्त विभाग, वल्लभ, भवन मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. / एफ.11 / 1 / 2008 / नियम / चार / दिनांक 24.01.2008 एवं ज्ञाप क्र. / एफ.11 / 1 / 2008 / नियम / चार दिनांक 30.10.2010 के क्रम में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक / कु.स. / स्था.2 / समयमान / 2022 / 5509 दिनांक 04.11.2022 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम समयमान वेतनमान योजना (जो दिनांक 01.04.2006 से प्रभावशील है) के अंतर्गत उनके नाम के समक्ष कॉलम नं. 06 में दर्शाये अनुसार उच्चतर समयमान वेतनमान व कॉलम 07 में दर्शाये गये तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

तृतीय श्रेणी पद						
क्र.	**कर्मचारी का नाम / वर्तमान पदनाम**	**प्रथम / द्वितीय नियुक्ति दिनांक**	**वर्तमान वेतनमान**	**10 वर्ष पूर्ण होने की तिथि**	**शासन द्वारा निर्धारित समयमान वेतनमान**	**स्वीकृति तिथि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
तकनीकी सहायक, लाइब्रेरी						
1.	श्री धीरज श्रीवास्तव	02.04.2011	9300–34800 +3600	02.04.2021	9300–34800 +4200	02.04.2021
2.	श्री सरदार सिंह चौहान	06.04.2011	9300–34800 +3600	06.04.2021	9300–34800 +4200	06.04.2021
सहायक ग्रेड–3						
1.	श्रीमती गीतांजली तोमर	20.03.2012	5200–20200 +1900	20.03.2022	5200–20200 +2400	20.03.2022
2.	श्रीमती प्रमीला बामनिया	10.08.2011	5200–20200 +1900	10.08.2021	5200–20200 +2400	10.08.2021
3.	श्री वैभव केशरे	24.01.2012	5200–20200 +1900	24.01.2022	5200–20200 +2400	24.01.2022
4.	श्रीमती कीर्ती चाफेकर	02.02.2010	5200–20200 +1900	02.02.2020	5200–20200 +2400	02.02.2020
भृत्य						
1.	श्री विशाल कुशवाह	31.01.2012	4440–7400 +1300	31.01.2022	4440–7400 +1400	31.01.2022

02. उपरोक्तानुसार स्वीकृत समयमान वेतनमान अवधि में किसी के विरूद्ध विभागीय जांच लंबित हो या विभागीय जांच के निर्णय जिसमें समयमान प्रभावित होता है तो उनका आदेश निरस्त माना जाकर विश्वविद्यालय को तत्काल सूचित किया जावे।

03. उपरोक्त आदेश में दिया गया विवरण जैसे नाम, वर्तमान पदनाम, प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं वर्तमान वेतनमान कार्यालय प्रमुख से सेवापुस्तिका के आधार पर प्राप्त जानकारी अनुसार उच्चतर वेतनमान एवं स्वीकृत तिथि का निर्धारण किया गया है। संबंधित कर्मचारी को आदेश देने के पूर्व अभिलेखों से इसका मिलान करें, यदि पात्रता नही बनती है तो ऐसे कर्मचारियों के मामले में यथाशीघ्र सूचित किया जावे, जिससे संबंधित का नाम विलोपित किया जा सके।

04. समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण म.प्र. शासन वित विभाग के आदेशानुसार निर्धारित होगा।

क्रमशः.....................2

05. उच्चतर वेतनमान में वेतन नियतन पश्चात कर्मचारी के वेतन नियतन पश्चात् कर्मचारी के वेतन नियतन की जांच संबंधित आवासीय सहायक संचालक से कराने के उपरांत ही वेतन का भुगतान किया जाये एवं एरियर का भुगतान संयुक्त संचालक/उपसंचालक से अंतिम वेतन निर्धारित के पश्चात् ही किया जावे।
06. इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उसे पूर्व स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत लाभ वापस नही लिया जावेगा, बाद में कोई उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ देय नही होगा।
07. भविष्य में यदि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों में से किसी को भी द्वितीय समयमान वेतनमान की अपात्रता की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में उक्त आदेश स्वमेव समाप्त माना जावेगा तथा अधिक भुगतान की गई राशि उसके वेतन अथवा पेंशन से वसूली योग्य होगी।

नोटः— संबंधित आदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rvskvv.net से डाउनलोड कर प्राप्त करें।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

कुलसचिव

क्र./कु.स./स्था.2/समयमान/2023/2083 दिनांकः 04/07/202[illegible]

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. लेखा नियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
02. निदेशक शिक्षण, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
03. अधिष्ठाता कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इन्दौर/मन्दसौर, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
04. आँचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, खरगौन, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
05. सहायक कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
06. संबंधित कर्मचारी .... ।
07. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
08. व्यक्तिगत नस्ती/सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव